



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012021-224336
CG-DL-E-11012021-224336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/पौष 21, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

का.आ. 101(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख, 21 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित और जारी की गई, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3711 (अ), तारीख, 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के भरुच जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, "द टाइम्स आफ इंडिया" (अंग्रेजी) में तारीख 28 अक्टूबर, 2020 और "गुजरात मित्र" (गुजराती) में तारीख 28 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : भरुच

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकलेश्वर	उमरवाडा	497 पी 1	निजी	खेती	0.2500	फातमा आदम गंगात जेबुत्रिशा आदम गंगात मोहमदसलीम आदम गंगात, जरीना आदम गंगात मोहमद अस्लम आदम गंगात अहमद आदम गंगात
			505 पी 2	निजी	खेती	0.0600	स.सुमैया इशाक गंगात स.ना वाली साराबेन सुलेमान स.साजेदा इशाक गंगात स.ना वाली साराबेन सुलेमान
			498	निजी	खेती	0.0600	498 पैकी 1:— बाई मरीयम युसुफ आदम नी विधवा स.अब्दुल सकुर अब्दुल रहेमान हफसाबीबी स.अहमद जुनेद अस्मालबानु खतीजा ईब्राहीम आदम नी विधवा फातमा ईब्राहीम आदम अमीना ईब्राहीम आदम हारुन ईब्राहीम आदम आबेदा ईब्राहीम
2	भरुच	दहेगाव	124/2	निजी	खेती	0.4144	अब्दुल सतार हाफेजी दाउद महमद

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2102]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. और सु./स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2021

S.O. 101(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3711(E), dated the 19th October, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 21st October, 2020 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Bharuch in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) dated the 28th October, 2020 and “Gujarat Mitra” (Gujarati) dated the 28th October, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Bharuch for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of the District: Bharuch

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey /Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners/Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ankleshwar	Umarwada	497 P1	Private	Agriculture	0.2500	FATMA ADAM GANGAT ZEBUNNISHA ADAM GANGAT MOHAMADSALIM ADAM GANGAT ZARINA ADAM GANGAT MOHANMAD ASLAM ADAM GANGAT AHMED ADAM GANGAT.
			505 P2	Private	Agriculture	0.0600	S. SUMAIYA ISHAQ GANGAT S.NA VALI SARABEN SULEMAN S. SAJEDA ISHAQ GANGAT S.NA VALI SARABEN SULEMAN.
			498	Private	Agriculture	0.0600	498 PAIKI 1:- BAI MARIYAM YUSUF AADAM NI VIDHWA ABDUL SAKUR

							ABDUL RAHEMAN HAFSABIBI S. AHMAD JUNEDA ASMALBANU KHATIJA IBRAHIM AADAM NI VIDHWA FATMA IBRAHIM AADAM AMINA IBRAHIM AADAM HARUN IBRAHIM AADAM AABEDA IBRAHIM.
2	Bharuch	Dahegam	124/2	Private	Agriculture	0.4144	ABDUL SATTAR HAFEJI DAUD MAHAMAD.

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/2102]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A/SD)